Manvendra Mandal
Part-time lecturer

अभिवचन का उद्देश्य (object of pleadings) – अभिवचनों के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं –

① पक्षकारों को निश्चित वादपदों पर लाना (To bring the parties definite issues)

② पक्षकारों को अचम्भे से बचाना (To prevent the parties from being taken by surprise)

③ अनावश्यक खर्चों एवं कठिनाइयों को कम करना (To avoid unnecessary expenses and troubles)

④ असंगतताओं का उन्मूलन करना (To remove inconsistencies)

⑤ अनावश्यक देरी में कमी करना (To avoid unnecessary delay)

⑥ न्यायालय को सहायता प्रदान करना (To assist the court)

① पक्षकारों को निश्चित वादपदों पर लाना :-

थार्प बनाम होल्ड्सवर्थ के वाद में कहा गया है कि अभिवचनों का कार्य उन बातों को ठीक ठीक रूप में अभिनिश्चित करना है जिन पर पक्षकारों में मतभेद है और जिन पर वे एकमत हैं, जिससे कि पक्षकारों को एक निश्चित तनकीहों पर लाया जा सके।

राजनारायण बनाम श्रीमति इन्दिरा गाँधी के प्रसिद्ध वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि दिवानी वाद शतरंज का खेल नहीं है जिसे पक्षकारों की अनिश्चित चालों के आधार पर हारा या जीता जा सके। इसी कारण अभिवचनों के माध्यम से पक्षकारों के बीच विवादास्पद बातों को वाद का परीक्षण प्रारम्भ होने से पूर्व भली-भाँति अभिनिश्चित कर लिया जाता है। उच्चतम न्यायालय के इसी शैली का अनुसरण करते हुए पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने महेन्द्र सिंह बनाम हुकुम सिंह के केस में अवलोकन किया है कि दिवानी मामलों में लुका छिपी (hide and seek) का खेल खेलने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

② पक्षकारों को अचंभित होने से बचाना :-

श्यामस्वरूप गुप्ता बनाम बिशुन नारायण इण्टर कॉलेज के निर्णय में भी उच्चतम न्यायालय ने अवलोकन किया है कि अभिवचन का प्रयोजन एवं उद्देश्य विरोधी पक्षकारों को यह जानने में समर्थ बनाना है कि उसे किस केस का सामना करना पड़ेगा। एक निष्पक्ष

Scanned with CamScanner

एवं उचित परीक्षण के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि पक्षकार अपने अभिवचन में आवश्यक तथ्यों का वर्णन कर दे जिससे कि दूसरा पक्षकार किसी प्रकार चकित न हो।

मेसर्स गनेश ट्रेडिंग कम्पनी बनाम मोजीराम के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिवचन के दो मुख्य उद्देश्य बताये गये हैं- (क) पक्षकारों को मामलों के तथ्यों से अवगत कराना, तथा (ख) व्यतिक्रम (चूक) को रोकना।

(3) अनावश्यक खर्चों एवं कठिनाइयों को कम करना-
अभिवचनों के कारण पक्षकारों को पहले से मालूम रहता है कि उन्हें क्या साबित करना है। अतः स्वभाविक रूप से वे अनावश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करने के व्यय एवं परेशानी से बच जाते हैं।

(4) असंगतताओं का उन्मूलन करना :-
विधिवेत्ता पैटन महोदय के अनुसार अभिवचनों का उद्देश्य inconsistencies को दूर करना भी होता है। वास्तविक परीक्षण शुरू होने के पूर्व पक्षकारों को अभिवचनों के रूप में अपना-अपना वाद प्रस्तुत करने के लिए विवश करने सम्बन्धी नियमों के अभाव में केस अनेक प्रकार की असंगतताओं से परिपूर्ण हो सकता है।

(5) अनावश्यक देरी में कमी करना :-
अभिवचन सम्बन्धी नियमों के कारण विशेषकर उस समय की बचत हो जाती है जो अनावश्यक एवं असम्बद्ध साक्ष्य के परीक्षण में लग जाता है।

(6) न्यायालय को सहायता प्रदान करना :-
पिन्सन बनाम एल० एन० पी० फॉरेन बैंक लि० के वाद में अवलोकित किया गया है कि "अभिवचनों का कार्य केवल पक्षकारों को ही लाभ प्रदान करना नहीं है, बल्कि शायद प्रधानतया न्यायालय की सहायता करना भी है। राजनारायण बनाम इन्दिरा गाँधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंगित किया है कि "अभिवचनों के नियम निष्पक्ष एवं उचित निर्णय करने के साधन है।"

Scanned with CamScanner